

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुन्ना पिता-अहमद मंसुर ग्राम-हरपुर राय पो० मुरारपुर थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन०-2018428644	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	माजदा खातुन पति-मो० सईद खान ग्राम-गुलजार पोखर नीयर फिलिप्स बेकरी, पो०+जिला-मुंगेर थाना कोतवाली सीआरन०-2018348987	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	जवाहीर बरई पिता-विजयमल बरई ग्राम-किशुनपुरा पो० गोई थाना-चांद जिला-भभुआ कैमुर सीआरन०-2017845140	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	मनोज राय पिता-राम लखन राय ग्राम-पो०-महम्मदपुर थाना-गरखा जिला-सारण सीआरन०-2018595946	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	शिल्पी कुमारी पिता-प्रदीप कुमार ग्राम-कोर्ट बाजार वार्ड नं०-12, पो०+थाना+जिला सीतामढ़ी सीआरनं०-2016689661	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	निशात बेगम पति-रेयाज अहमद खान ग्राम-बलुआ पो०+थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण सीआरनं०-2014599105	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,00,000/- (नौ लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050587.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई० डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 050587.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28-8-18

ज्ञापांक 1557(14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
रंजन